चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर–2

प्रबन्ध मण्डल की 113वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 29 दिसम्बर, 2000

स्थान : गोमती होटल, लखनऊ

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे

उपस्थितिः

1.	डा0 एस0 बी0 सिंह कुलपति,	अध्यक्ष
2.	डा0 नसीम जैदी, सचिव, कृषि	सदस्य
3.	डा0 आर0 सी0 श्रीवास्तव सचिव वित्त,	सदस्य
4.	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	सदस्य
5.	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद,	सदस्य
6.	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक	सदस्य
7.	डा0 हरि कृष्ण सक्सेना,	सदस्य
8.	श्री अमर सिंह,	सदस्य
9.	श्रीमती मुन्नी देवी राजपूत	सदस्य
10	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल	सदस्य
11.	श्री मधुकर द्विवेदी, निदेशक पशुपालन	सदस्य
12.	श्री जगदेव प्रसाद, अर्थ नियंत्रक	सचिव

मद संख्या 1: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 7–9–2000 को सम्पन्न हुयी 112वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने 112वीं बैठक दिनांक 07–9–2000 की कार्यवाही का अनुमोदन किया ।

मद संख्या 2: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 112वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 07–9–2000 को सम्पन्न हयी 112वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही प्रस्तुत की गयी और निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिये गये :

मद संख्या 2.10(पूरक–3):

प्रबन्ध मण्डल ने कृत कार्यवाही को संज्ञान में लिया कि डा0 मोती सिंह, प्रोफेसर उद्यान विभाग के विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जॉच हुई है, इस पर अलग से कार्यवाही की जायेगी । चर्चा में यह बात सामने आयी कि प्रबन्ध मण्डल के एक सदस्य श्रीमती संतोष कश्यप द्वारा जॉच कराई गई थी । पुनः इस प्रकरण पर बिना प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से अन्य अधिकारी से जॉच कराई गयी । इस प्रकार से जॉच अधिकारी की नियुक्ति वैध नहीं ठहराई जा सकती । अतः इस प्रकरण पर विस्तृत रुप से परीक्षण कराना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि पूर्ण प्रकरण को पुनः परीक्षण कराकर विभिन्न पहलुओं पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी और प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में इस प्रकरण को रखा जायेगा ।

मद संख्या 11:

सम्बद्धता समाप्त करने हेतु सम्बधित शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों को मूल पद पर पदस्थापित करने के संबन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिए गये निर्णय पर कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

मद संख्या 3:

अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने को प्रबन्ध मण्डल ने 112वीं बैठक में सैद्धान्तिक रुप से स्वीकृति प्रदान की थी और यह निर्णय लिया था कि शासन को संदर्भित कर दिया जाय और प्रबंन्ध मण्डल की अगली बैठक तक शासन का आदेश न प्राप्त होने पर इसे प्रभावी माना जाय ।

शासन को पत्र संख्या 1222 / 2000 सीएसयूएच दिनांक 24.10.2000 द्वारा सन्दर्भित किया गया था । शासन से कोई आदेश दिनांक 29.12.2000 (प्रबन्ध मण्डल की बैठक की तिथि) तक प्राप्त नहीं हुआ । अतः प्रबन्ध मण्डल ने दिनांक 7.9.2000 के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या 17.8

श्रीमती सुशीला दुबे पत्नी श्री अनिरुद्ध दुबे के प्रार्थना पत्र पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के अनुपालन में महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित किये गये पत्र संख्या सी एस यू एच / 1220 दिनांक 24.10.2000 तथा पत्र संख्या सी एस यू एच– 5924 (बी) / 2000 दिनांक 18 दिसम्बर 2000 से प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया । विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि श्री अनिरुद्ध दुबे के प्रकरण पर विधिक राय प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जाय ।

मद संख्या 3: **डा0 पी0 के0 सिंह, सहायक आचार्य, पशु प्रजनन एवं सम्वर्धन विभाग वेटेनरी कालेज मथुरा की नियुक्ति वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर राष्ट्रीय अनुवांशिक संसाधन व्यूरो, करनाल में हो जाने के फलस्वरुप उन्हें उनके मूल पद पर 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा डा0 पी0 के0 सिंह, सहायक आचार्य को उनके मूल पद पर 2 वर्ष का धारणाधिकार दिनांक 7.4.2000 से 6.4.2002 तक सुरक्षित रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद संख्या 4: **डा0 अशोक कुमार, सहायक आचार्य, मेडिसिन विभाग वेटेनरी कालेज मथुरा की नियुक्ति वरिष्ठ वैज्ञानिक (वेटेरीनरी मेडिसिन), सी0 आई0 आर0 जी0 मकदूम के पद पर हो जाने के फलस्वरुप उनके मूल पद पर 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा डा0 डा0 अशोक कुमार, सहायक आचार्य, को उनके मूल पद पर दिनांक 7.11.1999 से 16.11.2001 तक 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या 5: **डा0 आर0 पी0 कटियार, प्राध्यापक, बीज प्रौद्योगिकी विभाग की नियुक्ति सहायक महानिदेशक (बीज), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पद पर हो जाने के फलस्वरुप 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने एवं 5 वर्ष (2 वर्ष को सम्मिलित करते हुये) का धारणाधिकार सुरक्षित रखने पर विचार हेतु प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त डा0 आर0 पी0 कटियार, प्राध्यापक, को विश्वविद्यालय परिनियम के प्राविधान के अर्न्तगत दिनांक 17.1.2000 से 16.1.2002 तक केवल 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या 6: डा0 शेर बहादुर, विषय वस्तु विशेषज्ञ, प्रसार निदेशालय में कार्यरत को 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 शेर बहादुर, विषय वस्तु विशेषज्ञ, को दिनांक 17.11.1998 से 16.11.2000 तक केवल 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या 7: **डा0 राम नाथ, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, जो दिनांक 7.7.1997 के अपरान्ह से दिनांक 7.7.2000 तक इस विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर कार्यरत थे, की पेंशन आगणन हेतु दिनांक 8.7.1997 से 30.6.2000 तक की सेवाये जोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विधिक राय लेने का निर्णय लिया ।

मद संख्या 8: **पशु चिकित्सा संकाय में स्नात्तकोत्तर छात्रों के ट्यूशन शुल्क की बढोत्तरी पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने एम0वी0एस–सी0 का ट्यूशन शुल्क रु0 6000–00 प्रति वर्ष तथा पी–एच0डी0 का ट्यूशन शुल्क रु0 8000–00 प्रति वर्ष, वर्ष 2001 से वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद संख्या 9: **प्रवेश परीक्षा में देय पारिश्रमिक / मानदेयों की बृद्धि पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित पारिश्रमिक / मानदेयों की दरों का अनुमोदन किया साथ ही यह निर्णय लिया कि प्रवेश परीक्षा की बची हुई आय से सामान्य परीक्षा के पेपर सैटिंग, परीक्षा पारिश्रमिक आदि के भुगतान भी किये जायें ।

मद संख्या 10: **बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कृषि इन्जीनियरिंग एवं तकनीकी कालेज, इटावा में विभिन्न विभागों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और प्रस्तावित फेकेल्टी आफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलोजी के अर्न्तगत निम्नलिखित विभागों के सृजन का अनुमोदन प्रदान किया :

1. प्रोडेक्शन इंजीनियरिंग विभाग
2. स्वायल एण्ड वाटर कन्जरवेशन विभाग
3. फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग विभाग
4. पेस्ट हारवेस्ट, प्रोसेस एण्ड फूड इंजीनियरिंग विभाग
5. ईरीरोशन एवं ड्रेनेज इंजीनियरिंग विभाग
6. ईलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग
7. कम्प्यूटर सांइस एवं इंजीनियरिंग विभाग

क्रम संख्या	पदनाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्रतीक्षा सूची
1.	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	डा0 के0 डी0 उपाध्याय	1. डा0 आर0 पी0 कटियार 2. डा0 वी0 एस0 वर्मा
2.	अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन संकाय	डा0 हरीन्द्र नाथ सिंह	1. डा0 देव पाल सिंह 2. डा0 बी0सी0 पाल
3.	अधिष्ठाता, कृषि अभियंत्रण संकाय	डा0 मंशाराम वर्मा	कोई नहीं
4.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	डा0 के0 डी0 उपाध्याय	1. डा0 वी0 एस0 वर्मा
5.	निदेशक, कृषि प्रयोग केन्द्र	डा0 आर0 पी0 कटियार	1. डा0 धनपाल सिंह
6.	कुलसचिव	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	प्रोफेसर (फार्म पावर एण्ड मशीनरी)	कोई नहीं	कोई नहीं
8.	प्रोफेसर (स्वायल एण्ड वाटर कन्जरवेशन इंजीरियरिंग)	डा0 राम चरन यादव	कोई नहीं
9.	एसोसिएट प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग)	श्री अनिल कुमार साहू	श्री मुजीब अहमद अंसारी
10.	एसोसिएट प्रोफेसर (कम्प्यूटर सांइस)	श्री संजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, के रुप में रु08000–135000 के वेतनमान में	कोई नहीं
11.	एसोसिएट प्रोफेसर (प्रोसेसिंग एण्ड एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर)	**सामान्य श्रेणी** 1. डा0 (श्रीमती) प्रतिमा देवी शर्मा **पिछड़ा अन्य वर्ग** –कोई नहीं	**सामान्य श्रेणी** 1. डा0 मुकेश श्रीवास्तव 2. डा0 देवेन्द्र कुमार **पिछड़ा अन्य वर्ग**– कोई नहीं
12.	एसोसिएट प्रोफेसर (स्वायल एण्ड वाटर कन्जरवेशन 3 पोस्ट)	कोई नहीं	कोई नहीं
13.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (बिजनेस मैनेजमेन्ट)	डा0 राजीव सिंह	कोई नहीं
14.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इलेक्ट्रानिक्स)	श्री नवीन सिंह राजपूत	कोई नहीं
15.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (फार्म एण्ड पावर मशीनरी)	श्री अनिल शंकर राव रामटेके	श्री अशोक कुमार
16.	एशोसिएट प्रोफेसर (फूड न्यूट्रीशन एण्ड फेमिली रिसोर्स मैनेजमेन्ट)	डा0(श्रीमती) रेखा दयाल	डा0 प्रतिमा अवस्थी
17.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (चाइल्ड डेवलपमेन्ट)	डा0(श्रीमती) मुक्ता गर्ग	1. कु0 मीनाक्षी मिश्रा 2. कु0 ममता सक्सेना
18.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (क्लाथिंग एण्ड टेक्सटाइल)	डा0(श्रीमती) सस्मिता बेहरा	1. कु0 अर्चना सिंह 2. कु0 स्मृति यादव
19.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (फूड एण्ड न्यूट्रीशन)	1. डा0(श्रीमती) साधना (सा0) 2. कु0 सीमा सोनकर (अनु0जा0)	1. मिसेज विनीता सिंह (सा0) 2. मिसेज रचना मिश्रा (सा0) **अनु0 जाति** – कोई नहीं
20.	कोआर्डिनेटर	**अ. अनु0 जाति** – कोई नहीं **ब. अन्य पिछड़ा वर्ग** 1. डा0 विजय कुमार कनौजिया	**अ. अनु0 जाति** – कोई नहीं **ब. अन्य पिछड़ा वर्ग** 1. डा0 शिरीष कुमार

		2. श्री प्रमोद कुमार राठी 3. डा0 कृपा शंकर **स. सामान्य वर्ग** 1. डा0 शंकर सिंह 2. डा0 राम बटुक सिंह 3. डा0 देवेन्द्र प्रताप सिंह 4. डा0 विनोद कुमार शर्मा	**स. सामान्य वर्ग** 1. डा0 निजामुद्दीन 2. डा0 प्रभात कुमार सिंह
21.	विषय वस्तु विशेषज्ञ (उपज उत्पादन)	**अ.सामान्य वर्ग** 1. श्री चुनचुन कुमार 2. श्री राजीव कुमार सिंह 3. श्री संजीव शर्मा 4. श्री अमल सक्सेना **ब.अनु0 जाति** 1. श्री श्याम सिंह 2. श्री राजेश कुमार कनौजिया **स.अन्य पिछडा वर्ग** 1. डा0 अनोखे लाल 2. श्री राजीव 3. श्री अरविन्द	**अ.सामान्य वर्ग** 1. श्री प्रणवीर सिंह 2. श्री जोगेन्द्र प्रताप सिंह 3. श्री पंकज कुमार सिंह **ब. अनु0 जाति** 1. श्री राजीव कुमार दोहरे **स.अन्य पिछडा वर्ग** डा0 राजेश कुमार यादव
22.	विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौध उत्पादन)	**अ.सामान्य वर्ग** 1. श्री मृत्युन्जय कुमार सिंह 2. श्री संजय सिंह 3. श्री अनिल कुमार सिंह 4. श्री लाल बहादुर सिंह **ब.अनु0 जाति** 1. श्री राम प्रकाश 2. श्री विकास रंजन चौधरी **स.अन्य पिछडा वर्ग** 1. डा0 मोहम्मद सुहैल 2. डा0 जिया लाल गुप्ता 3. श्री जे0 बी0 सिंह	**अ.सामान्य वर्ग** 1. श्री नवनीत पारिक 2. श्री अरविन्द कुमार सिंह **ब. अनु0 जाति** 1. श्री सुरेन्द्र कुमार रावत **स.अन्य पिछडा वर्ग** डा0 राजेश कुमार
23.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया ।	

मद संख्या 13: अधिष्ठाता, गृह विज्ञान की नियुक्ति हेतु पुनः अर्हता निर्धारित करने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और अधिष्ठाता गृह विज्ञान संकाय की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अर्हता निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया :

1. Doctorate degree in any branch of Home Science.

2. Ten years of Teaching / Research / Extension out of which a minimum of 3 years experience should be at the level of Professor or equivalent position. In case of outstanding candidates the aforesaid qualification may be further relaxed.

मद संख्या 14: वित्त उपसमिति की बैठक दिनांक 29.12.2000 की संस्तुतियों पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उपसमिति की निम्नलिखित संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया :–

1. वित्तीय वर्ष 2000–2001 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास हेतु शासन द्वारा आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत सहायक अनुदान की धनराशि रु01602.50 लाख व्यय हेतु प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया । लेकिन प्रबंध मण्डल ने यह इंगित किया कि इसकी स्वीकृति 7 सितम्बर 2000 की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करके करा लिया जाना चाहिये था ।

2. वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय व्ययक के आयोजनेत्तर, आयोजनागत एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिणी महाविद्यालय (आयोजनागत) के आय व्ययक अनुमानों पर विचार किया गया और निर्देश दिये गये कि वेतन भत्ते आदि का विस्तृत विवरण जिसमें पदवार वेतन भत्तों का आगणन प्रस्तुत नहीं किया गया है राजकीय विभागों के बजट प्रारुप पर पदों की संख्या, वेतन आदि का आगणन, वाहनों, टेलीफोन आदि पर व्यय के अनुमान का विस्तृत आगणन किया जाय तथा सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय। पूँजीगत व्यय के अनुमानों का विवरण नहीं दिया गया है । इसे वित्त उपसमिति के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया ।

3. वित्तीय वर्ष 2000–2001 में विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वेतन भत्ते तथा आकस्मिक व्यय हेतु काफी कम धनराशि स्वीकृत की गयी है । वेतन भत्ते की धनराशि कम होने के कारण वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन माह के वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा । अतः तीन माह के वेतन हेतु शासन द्वारा धनराशि का स्वीकृत किया जाना आवश्यक है ।

31 मार्च 2000 की लम्बित देयाताये रु0 1863.57 लाख तथा वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय, पेंशन, जी0पी0एफ0 पर ब्याज तथा आडिट फीस पर रु0 1157.74 लाख की आवश्यकता है । आयोजनागत मद में रु0 216.00 लाख तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय इटावा हेतु 204.67 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में मजदूरी की दरों में बृद्धि के फलस्वरुप रु0 62.46 लाख की आवश्यकता है । इस प्रकार कुल मिलाकर रु0 3504.44 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है ।

31 मार्च 2000 तक की लम्बित देयताओं पर चर्चा करते समय यह निर्देश दिया गया कि आकस्मिक मद की रु0 190.36 लाख तथा वर्ष 1997–98 के व्ययाधिक्य रु0 21.76लाख का औचित्य उपलब्ध कराया जाय ।

जी0पी0एफ0 पर ब्याज की धनराशि पर विचार करते समय यह निर्देश दिया गया कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का अध्यावधिक लेखा रखा जाये तथा सम्बन्धित शिक्षकों तथा कर्मचारियों की पासबुक अध्यावधिक कर उन्हें प्रत्येक वर्ष लेखा पर्ची अवश्य उपलब्ध कराई जाय। जी0पी0एफ0 से अग्रिमों की स्वीकृति शासनादेशों में दिये गये निर्देशों तथा सामान्य भविष्य निधि नियमावली के अनुसार किया जाय ।

कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही आय पर विचार विमर्श करते समय यह निर्देश दिया गया कि आंतरिक संसाधनों में बृद्धि कर आय में बृद्धि की जाये । वित्तीय वर्ष 2000–2001 में पिछले वर्ष में हुई रु0 148.08 लाख आय के सापेक्ष रु0 250.00 लाख से 300.00 लाख की आय प्राप्त होने का अनुमान है । अध्यक्ष महोदय ने अगले वर्षों में उत्तरोत्तर आय में बृद्धि करने पर बल दिया ।

मद संख्या 15.1: डा0 अरविंद कुमार सिंह सह प्रशिक्षक / कनिष्ठ वैज्ञानिक (उद्यान), कृषि विज्ञान केन्द्र भरारी झाँसी में कार्यरत का 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने डा0 अरविंद कुमार सिंह को विश्वविद्यालय में 2 वर्ष (दिनांक 8–3–99 से 7–3–2001 तक) का धारणाधिकार सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या 15.2. विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक अभियंता व अवर अभियंता को समयमान वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया । यह तथ्य सामने आने पर कि विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं को समयमान वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड शासनादेश दिनांक 22–12–1999 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, अतः इस प्रकरण को शासन को पुनः सन्दर्भित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(जगदेव प्रसाद)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल